राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांकः राजस्व/2023/SP-01 दिनांकः 01-02-2023

तहसीलदार,
नीमकाथाना।

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 14(4) की पत्रावलियां वास्ते पूर्ति लौटाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 14(4) की पत्रावलियां वास्ते सुनवाई प्रस्तुत की गई थी। पत्रावलियों में राज्य हित निहित होने के कारण पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टिया निम्नांकित कमियां पाई गई है। जिनके अभाव में गुणवतापूर्ण निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अतः समस्त पत्रावलियां लौटा कर आपको निर्देशित किया जाता है कि बाद पूर्ति विधि पूर्वक अग्रिम कार्यवाही करें:–

1. प्रार्थना–पत्रों के साथ मूल आवंटन आदेश कि प्रति संलग्न नहीं कि गई है।
2. प्रार्थना–पत्र मृतक के विरूद्ध भी प्रस्तुत किये गये है।
3. प्रार्थना–पत्रों में प्रस्तुत जमाबन्दी कि प्रतियों में पी.35 के क्रमांक अंकित नहीं है।
4. प्रार्थना–पत्रों में अंकित किया गया है कि आवंटी कि काश्त नहीं पाई गई, काश्त बाबत खसरा गिरदावरी प्रति संलग्न नहीं कि गई है।
5. प्रार्थना–पत्रों में अंकित भूमि आवंटन कि तिथी से नियमानुसार शुरूआती 5 वर्ष तक काश्त कि गई है या नहीं, प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है।
6. प्रार्थना–पत्रों में कहीं अंकित नहीं है कि आवंटी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व के किन नियमों/शर्तो कि पालना नहीं कि गई है।
7. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के कोई ठोस एवं विधिक कारण अंकित नहीं किये गये है। मियाद अधिनियम कि धारा–5 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. प्रार्थना–पत्र में संलग्न मौका फर्द पर आवंटी या उसके आस–पड़ोस के खातेदारान के हस्ताक्षर नहीं है। मौका फर्द रिपोर्ट छायाप्रति के रूप में तैयार कर अलग से खसरा नम्बर लिखे गये है ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय में बैठ कर तैयार कि गई है।
9. प्रार्थना–पत्रों में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार नीमकाथाना के हस्ताक्षर नहीं है।

...वधि में इस पत्रावलीयों में कार्यवाही नहीं करने पर उच्च अधिकारीयों के संज्ञान में लाया ...ा।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:08:42 IST
Reason: Self Attested

कोटपूतली रोड ..., नीमकाथाना, पिनकोड– 332713 फोन नं0 ...
Mail Id- adm.neemkathana@rajasthan.gov.in

C:\Users\laptop care\OneDrive\Desktop\ReaderLetter1 (4).docx

खसरा ...